

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 जनवरी 2018—पौष 22, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-89-2017-1-पांच (164).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश अग्रिम विनिर्णय अपील प्राधिकारी का कार्यालय आयुक्त वाणिज्यिक कर, मध्यप्रदेश, मोती बंगला, इंदौर पिन-452007 में गठन करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2018

क्र. एफ-ए-3-89-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-89-2017-1-पांच (164), दिनांक 12 जनवरी 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 12th January 2018

No. F-A-3-89-2017-1-V-(164).—In exercise of the powers conferred by Section 99 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government hereby constitutes the Madhya Pradesh Appellate Authority for Advance Ruling at Office of Commissioner Commercial Tax, Moti Bunglow, PIN 452007, Indore.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, Dy. Secy.